सं. 12/2/2016-स्था.(वेतन-I)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक : 11 मई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सीसीएस (आरपी) नियम, 2016 के कार्यान्वयन के पश्चात् राज्य सरकार के कर्मचारियों की केन्द्र सरकार में नियुक्ति होने पर वेतन नियतन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की केन्द्र सरकार के अंतर्गत नियुक्ति होने पर उनके वेतन के नियतन की विधि इस विभाग के का.ज्ञा.सं.12/1/94-स्था.(वेतन-I) दिनांक 24.03.1994 एवं 03.01.1996, का.ज्ञा.सं.13/2/1999-स्था.(वेतन-I) दिनांक 18.06.2001 और का.ज्ञा.सं. 12/1/2009-स्था.(वेतन-I) दिनांक 28.08.2014, में बताई गई है।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य सरकार से केन्द्र सरकार में नियुक्ति के मामले में संशोधित वेतन ढांचे में वेतन के नियतन के प्रश्न पर व्यय विभाग के साथ परामर्श कर विचार किया गया है और राष्ट्रपति ने यह निर्णय किया है कि दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके पश्चात् केंद्र सरकार में राज्य सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति के मामलों में, वेतन निम्नलिखित रीति से नियत किया जाएगाः-

(क) जहां राज्य सरकार ने 01.01.2016 से प्रभावी एआईसीपीआई (आईडब्ल्यू) 2001 श्रृंखला के अनुसार 261.41 के बेस इन्डेक्स पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के पैटर्न पर अपने कर्मचारियों के वेतनमानों/ग्रेड वेतन को संशोधित किया हैं, ऐसे राज्य सरकार के कर्मचारियों की केन्द्र सरकार के अंतर्गत नियुक्ति होने पर वेतन निम्नानुसार नियत किया जाएगाः

(i) जब नियुक्ति उच्चतर लेवल के पद पर की जानी हो, तब एक वेतन वृद्धि उस लेवल में दी जाएगी जिस लेवल से कर्मचारी की नियुक्ति की गयी है और उसे नियुक्ति पद के लेवल में परिकलित राशि के बराबर की कोष्ठिका (सेल) में रखा जाएगा और यदि उसे नियुक्त किए जाने वाले लेवल में ऐसी कोष्ठिका (सेल) उपलब्ध न हो तो उसे उसी उच्चतर लेवल के अगले उच्चतर कोष्ठिका (सेल) में रखा जाएगा। तथापि, यदि लेवल में वेतनवृद्धि को जोड़ने के पश्चात् भी इस प्रकार प्राप्त राशि उच्चतर स्तर के न्यूनतम वेतन या प्रथम कोष्ठिका (सेल) से कम होती है तो वेतन को उच्चतर स्तर के न्यूनतम वेतन में या उच्चतर स्तर के प्रथम ऐसे सेल पर नियत किया जाएगा।

(ii) जहां नियुक्ति समान लेवल वाले किसी पद पर की जानी है तो व्यक्ति वही वेतन आहरित करता रहेगा।

(ख) जहां राज्य सरकार ने **01.01.2016 के पश्चात् से प्रभावी एआईसीपीआई (आईडब्ल्यू) 2001** श्रृंखला के अनुसार 261.41 के बेस इन्डेक्स से आगे अपने कर्मचारियों के वेतनमानों/ग्रेड वेतन को संशोधित किया हैं, वहां **एआईसीपीआई (आईडब्ल्यू) 2001 श्रृंखला के अनुसार 261.41** के बेस इन्डेक्स से आगे दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए डीए, एडीए, आईआर इत्यादि को घटा कर पहले केन्द्रीय वेतन मैट्रिक्स में कर्मचारी का मूल वेतन नियत किया जाएगा और तदोपरांत वेतन को उपर्युक्त उप-पैरा (क) के अन्तर्गत खंड (i) और (ii) में किए गए प्रावधान के अनुसार नियत किया जाएगा।

(ग) जहां राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतनमान में या तो संशोधन नहीं किया है या दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके पश्चात् **एआईसीपीआई (आईडब्ल्यू) 2001 श्रंखलाओं के अनुसार 261.41 के बेस इन्डेक्स से नीचे** अपने कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित किया है, वहां इन कर्मचारियों का मूल वेतन राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए **गए एआईसीपीआई (आईडब्ल्यू) 2001 श्रृंखला के अनुसार 261.41** के बेस इन्डेक्स तक डीए, एडीए को जोड़ते हुए पहले केन्द्रीय वेतन मैट्रिक्स में नियत किया जाएगा और इसके पश्चात् वेतन को उपर्युक्त उप-पैरा (क) के अन्तर्गत खंड (i) और (ii) में किए गए प्रावधान के अनुसार नियत किया जाएगा।

3. ये आदेश 1.1.2016 को या उसके पश्चात् केन्द्र सरकार के अन्तर्गत नियुक्त किए गए राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं राज्य सरकार के अन्तर्गत आपातकालीन मंडलीय लेखाकारों/मंडलीय लेखाकारों सहित राज्य के अधीन स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए मान्य है।

4. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

(पुष्पेन्दर कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

2. एन.आई.सी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अनुरोध के साथ कि इस का.ज्ञा. को विभाग की वेबसाइट पर का.ज्ञा. एवं आदेश (स्थापना - वेतन नियमावली) तथा "नया क्या है" के अंतर्गत भी अपलोड करें।

प्रतिलिपि प्रेषित

1. भारत के उच्चतम न्यायालय के महासचिव।
2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय केंद्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/ उपराष्ट्रपति सचिवालय/ प्रधानमंत्री कार्यालय /नीति आयोग।
3. महालेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यलय
5. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (अ.भा.से. प्रभाग)/जेसीए/प्रशा. अनुभाग।
6. अपर सचिव (संघ राज्य क्षेत्र), गृह मंत्रालय/सभी राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र।
7. संयुक्त सचिव (कार्मिक), वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग।
8. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष), 13-सी फिरोजशाह रोड़ नई दिल्ली
9. जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य
10. प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग/पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग।
11. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग।
12. 5 अतिरिक्त प्रतियां

(पुष्पेन्दर कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार